

न्यायालय संभागीय आयुक्त, बीकानेर
अपील संख्या- 04/2024 अंतर्गत धारा-90-बी(7) एल.आर. एक्ट
(GCMS No. 2024/53)

1. बनवारी लाल पुत्र चुन्नीराम जाति जाट साकिन फेफाना तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।

बनाम

1. नन्थूराम पुत्र हरीकिशन जाति जाट साकिन फेफाना तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार नोहर।

4.3.2026

पत्रावली प्रस्तुत हुई। अभिभाषक अपीलांट ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थी अपीलांट उपरोक्त अनवानी प्रकरण को लोक अदालत की भावना से राजीनामा के आधार पर आगे चलाना नहीं चाहते व विद्धो करना चाहते हैं। अतः उपरोक्त प्रार्थना पत्र विद्धो प्रस्तुत कर निवेदन है कि अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील लोक अदालत की भावना के आधार पर फैसल फरमायी जाने का आदेश करने की कृपा करें।

हमने अभिभाषक अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र एवं इस न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया। यह अपील न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नोहर द्वारा जारी संपरिवर्तन आदेश दिनांक 03.08.2021 के विरुद्ध इस न्यायालय में विचाराधीन है। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के अनुसार अपीलांट इस अपील को आगे चलाना नहीं चाहते एवं विद्धो करना चाहते हैं। अतः अपील अपीलांट जरिये विद्धावल (withdrawal) खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड मय आदेश की प्रमाणित प्रति प्रेषित हो। अपील नंबर से कस होकर पत्रावली सुव्यवस्थित रखी जावें। आदेश सुनाया गया।

(विश्राम भीना)
संभागीय आयुक्त,
बीकानेर

